न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/646

1. श्रीराम पुत्र मूलाराम उम्र 40 वर्ष जाति माली निवासी कुआ बागवाला जमात के पास कस्बा उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं। (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1. बुद्धवारी लाल पुत्र भानाराम उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी कुआ बागवाला जमात के पास कस्बा उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. कजी पत्नी बालूराम उम्र 70 वर्ष,जाति माली निवासी शेहरावाली ढाणी ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
3. कमला पत्नी रामेश्वर लाल उम्र 65 वर्ष, जाति माली निवासी शेहरावाली ढाणी ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
4. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 29.08.2022 अपील संख्या 02/2021उनवानी श्रीराम बनाम बुद्धवारीलाल पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्रीराम, अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाद तामील अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 नोटिस लेने से इन्कार करने बाद अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 27.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 29.08.2022 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 05.09.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट श्रीराम ने तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 2387 दिनांक 30.01.2013 ग्राम उदयपुरवाटी से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं नामान्तरकरण संख्या 2387 दिनांक 30.01.2013 में कजी एवं कमला नामक महिलाओं का नाम हटाया जाकर निरस्त किये जाने एवं भूमि खसरा नम्बर 692 का 1/8 हिस्सा भानाराम के पुत्र बुद्धवारी के नाम तथा खसरा नम्बर 692 का 1/8 हिस्सा कब्जा के आधार पर स्वर्गीय मूलाराम के वारिसान पुत्रों श्रीराम, सोनाराम, रामसिंह व धनेष उर्फ दिनेश तथा पत्नि प्रभा देवी उर्फ प्रभाती देवी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2022 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 29.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीराम पुत्र मूलाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं दिनांक 29.08.2022 एवं

तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2387 दिनांक 30.01.2013 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 30.01.2013 जो नामान्तकरण संख्या 2387 ग्राम उदयपुरवाटी पर पारित किया गया था के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कि उक्त अपील को जिला कलेक्टर दौसा ने दिनांक 29.08.2022 को खारिज कर दिया। उक्त अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 29.08.2022 के विरुद्ध यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है। नामान्तकरण संख्या 2387 दिनांक 30.01.2013 में नामान्तकरण दर्ज करते वक्त अपीलान्ट एवं उसके किसी भी पारिवारिक सदस्य को सूचित नही किया गया तथा ना ही पटवार हल्का तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विरासतन नामान्तकरण में मौके की स्थिति अर्थात कब्जे का सर्वे किया बिना ही नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसकी विरासत थी उसकी मृत्यु के 8–9 वर्ष पश्चात यह विरासत नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो गलत है अवैध है उक्त नामान्तकरण संख्या 2387 पटवार हल्का उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं भानाराम पुत्र मांगूराम जाति माली निवासी उदयपुरवाटी की मृत्यु उपरान्त दर्ज करना था जो अपीलान्ट के दादा एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता थे भानाराम का एक नामान्तकरण तो 2007 में ही तहसीलदार उदयपुरवाटी ने कैसे भर दिया और दूसरा नामान्तकरण 2013 में क्यों दर्ज किया नामान्तकरण में 2 वारिसों की बजाय 4 वारिसों के नाम दर्ज कर दिये गए अपीलार्थी के पिता, मूलाराम एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 सही वारिस थे जबकि रेस्पोडेण्ट नं. 2 व 3 के नाम गलत दर्ज कर दिये गये। विरासत नामान्तकरण की पत्रावली में वारिस सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है। विरासत नामान्तकरण जिस भूमि खसरा नम्बर 692 उदयपुरवाटी का के पिता ने इसमे अपना आवास बना लिया था विद्युत, टेलीफोन आदि कनेक्शन ले लिये थे। अपीलार्थी के पिता मूलाराम तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 सगे भाई है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3, अपीलार्थी के पिता व रेस्पोडेन्ट नं. 1 की सौतेली बहिन है। अपीलार्थी के पिता मूलाराम तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता की मृत्यु भी सन् 2004 के पहले हो गई थी परन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र अंदाज से वर्ष 2006 का बनवाया गया इसके पश्चात भाना की भूमि का विरासतन नामान्तकरण भरा जाता है और इसी विरासतन नामान्तकरण को गलत भरने के कारण ही यहां विवाद पैदा होता है।

विवादित भूमि बावत आपसी पारिवारिक बंटवारा 1996 में अपीलार्थी एवं इसके पिता तथा रेसपोडेन्ट नं. 1 व इसी रेस्पोडेण्ट नं. 1 के पिता अर्थात अपीलार्थी के दादा भाना की उपस्थिति में उस समय रेस्पोडेन्ट नं. 2 कजी एवं रेस्पोडेन्ट नं. 3 कमला आदि की उपस्थिति मे एक पारिवारिक बंटवारा का समझौता हुआ जिसमे भानाराम के हिस्से की भूमि के 1/2 हिस्सा बड़े पुत्र मूलाराम अपीलार्थी के पिता को तथा 1/2 हिस्सा छोटे पुत्र रेस्पोडेन्ट नं. 1 बुद्धवारी को दिया गया उक्त पारिवारिक बंटवारे को रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने एम.जे.एम. न्यायालय उदयपुरवाटी में उनवानी प्रकरण मूलाराम बनाम सौमारी में स्वीकारा है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 3 कमला की साक्ष्य बन्द कर दी गई थी इसके अलावा भानाराम के हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से में अपीलार्थी के नाम सन् 2000 मे बी. एस.एन.एल टेलीफोन कनेक्शन व अपीलार्थी के पिता के नाम लाईट कनेक्शन व कनेक्शन हेतु एनओसी नगरपालिका एवं माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. उदयपुरवाटी में रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा पेश मुकदमा बुद्धवारी बनाम मूलाराम में स्वयं रेस्पोडेन्ट नं. 1 (वादी) द्वारा मौका कमिश्नर चाहने पर पटवार हल्का उदयपुरवाटी द्वारा जांच में विवादित भूमि में भानाराम के हिस्से में उसके दोनों पुत्रों मूलाराम एवं बुद्धवारी का ही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कब्जा बताया। इस सम्पूर्ण खसरा में कही भी कजी एवं कमला का कब्जा नहीं बताया गया इस प्रकार अपीलार्थी का व परिवार का कब्जा 1996 से अनवरत आज तक लगभग 24–25 वर्षों से चला आ रहा है जो कि मियाद अधिनियम की धारा 27 में चाहे गए 12 वर्षों से भी दूगना है। हिन्दु उत्तराधिकार अधि. 2005 के अनुसार यदि भूमि का पारिवारिक बंटवारा दिनांक 20.12.2004 से पूर्व हो चुके है वहां पुत्रियों को हिस्सा नहीं मिलेगा।

गोपीराम की वारिस पुत्रीयां नानूडी, कजी, कमला तीनों की शादी भी 60–70 वर्षो पूर्व हो गई थी। उपरोक्त सजरा में नानूडी की शादी हो गई थी जो बांद में 1980 के आस पास फौत हो गई थी कजी एवं कमला की माता ज्यानकी देवी के द्वारा भानाराम नामक व्यक्ति से शादी करने के बाद अपनी माता के पास मिलने आती जाती थी भानाराम को ही अपना पिता मानती थी। शादी होते ही उस समय इन्होने अपना पीहर में सम्पति का पैत्रिक अधिकार उस समय के कानूनी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व परम्परा हिन्दू परिपाटी अनुसार पीहर से खो दिया था वैसे भी कजी व कमला भानाराम की जायन्दा सन्तान नहीं थी भूमि भानाराम को खातेदारी अधिकारो के अन्तर्गत मिली थी जो उसके लिए स्वअर्जित थी। सम्पति में हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में ही दिया गया है जो उस समय लागू नहीं था। संविधान के प्रावधानुसार पुत्री पिता एवं ससुराल दोनों जगह पैत्रिक सम्पति में हिस्सा नहीं ले सकती। भानाराम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस उसके दोनों पुत्र ही थे जो कि मूलाराम एवं बुद्धवारी ही थे जिसका प्रमाण पत्र नगरपालिका उदयपुरवाटी (स्थानीय सरकार) ने भानाराम के वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र मूलाराम व बुद्धवारी के नाम ही जारी किया था हकीकत भी यही है जिस प्रमाण पत्र को रेस्पोडेन्ट ने आज तक किसी न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया हैं। वादपत्र में उदयपुरवाटी के भूमि खसरा नम्बर 692 क्षेत्रफल 0.52 हैक्टर में भानाराम का 1/4 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में यह सहवन से 9 बिस्वा ही दर्ज है। जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विचाराधीन है अर्थात भानाराम के हिस्से में 0.13 हैक्टर भूमि आती है परन्तु सहवन से 9 बिस्वा अर्थात 0.11 हैक्टर भूमि ही दर्ज हुई है। यहां विवाद भानाराम के पुत्रों के मध्य है न की अन्य खातेदारों के मध्य मुख्य विवाद भानाराम के हिस्से की भूमि में भानाराम की मृत्यु उपरान्त विरासतन नामान्तकरण में मूलाराम, बुद्धवारी के अलावा काजी एवं कमला नामक महिलाओं का नामान्तकरण में नाम जोडने से पैदा हुआ। भूमि खसरा नम्बर 692 में स्वर्गीय भानाराम के हिस्से को ही इस अपील में विवादित भूमि कहा गया है स्वर्गीय भानाराम की मृत्यु उपरान्त विरासतन नामान्तकरण संख्या 2387 दिनांक 30.01.2013 में रेस्पोडेन्ट न. 2 व 3 का नाम गलत दर्ज किया गया है जो भानाराम की मृत्यु के 10 वर्ष बाद दर्ज किया गया है।

भानाराम के जीवित रहते ही उक्त विवादित भूमि का बंटवारा अपीलार्थी के पिता तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 में हो गया था जिसमे बंटवारा के समय भानाराम मौजूद था रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 भी मौजूद थी उक्त बंटवारा बाबत एक लिखित में लिखावट है जो माननीय न्यायालय एम.जे.एम. उदयपुरवाटी में पूर्व में मूलाराम बनाम सोमारी देवी में पेश की गई थी। उनवानी मूलाराम बनाम सोमारी देवी नामक वाद में रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने उक्त लिखित एग्रीमेन्ट को होना स्वीकारा है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के हस्ताक्षर होना भी स्वीकारा है। उक्त बंटवारा की लिखावट (एग्रीमेन्ट) रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2, 3 की उपस्थिति में होना रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2 ने स्वीकारा है तथा भानाराम स्वयं द्वारा जीवित रहते बटवारा उसकी उपस्थिति में होना बताया है। जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 3 उस वाद में एक्सपार्टी थी उक्त बटवारा का पत्र रजिस्टर्ड नहीं है। परन्तु यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देवचन्द बनाम शिवराम वगैरा में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई मेमोरेण्डम या अभिस्वीकृति जो विभाजन के सन्दर्भ में है और जो विभाजन पहले से विद्यमान है और जिसे लागू कर दिया गया है तो उसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी के दादा श्री भानाराम ने नामान्तकरण से पूर्व ही अपीलार्थी के पिता को उक्त विवादित भूमि में से अर्थात अपने हिस्से में से 1/2 हिस्सा अपने पुत्र मूलाराम अर्थात अपीलार्थी के पिता को बेचान कर दिया था जो कि नोटेरी तस्दीक डोकोमेन्ट हैं जरिये नोटेरी बेचान किया हुआ है रेस्पोडेन्ट नं. 4 ने नामान्तकरण से पूर्व अपीलार्थी पक्ष से बिना सम्पर्क किये उक्त भूमि का गलत नामान्तकरण दर्ज कर दिया था। उक्त विवादित भूमि के 1/2 हिस्सा अर्थात करीबन 6000 वर्ग फिट सम्पूर्ण खसरा का 1/8 वां हिस्सा पर अपीलार्थी के परिवार का कब्जा है जिसमे अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों के पक्के मकान हैं अपीलार्थी के मकानों में टेलीफोन कनेक्शन सन् 2000 में लिया हुआ है तथा लाईट कनेक्शन भी अपीलार्थी के पिता का लिया हुआ है। लाईट पानी का कनेक्शन लेते वक्त नगरपालिका द्वारा एन.ओ.सी भी ली हुई हैं भूमि खसरा नम्बर 692 सम्पूर्ण पर आबादी बस गई है। नगरपालिका उदयपुरवाटी द्वारा उक्त भूमि को आबादी में कनवर्ड किये जाने बाबत ले आउट पलान भी बना लिया गया हैं उक्त भूमि खसरा नम्बर 692 बाबत माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां विचाराधीन मुकदमा बुद्धवारी बनाम मूलाराम में मौका की रिपोर्ट पटवार हल्का द्वारा बनाई गई जिसमे भानाराम के हिस्से में उसके दोनों पुत्र बुद्धवारी एवं अपीलार्थी के पिता मूलाराम का ही कब्जा बताया गया। रिपोर्ट संलग्न है। रिपोर्ट में कही भी कजी एवं कमला नामक महिला का हिस्सा नहीं बताया गया है। कानूनन जो व्यक्ति अपनी भूमि या सम्पत्ति पर से 30 वर्ष तक कब्जा हटा लेता है तथा उसे प्राप्त करना नहीं चाहा हो यदि रेस्पोडेन्ट भूमि चाहती तो दावा करती जो आज तक नहीं किया है। वह भूमि या सम्पति उसे प्राप्त नहीं होगी। न ही कानूनन प्राप्त कर सकती हैं उसके अधिकार समाप्त हो जाते है। खसरा नम्बर 692 के सहारे एक रास्ता चौडा किया गया जिसमे अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 एवं उसके पुत्र के ही हस्ताक्षर है यदि रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 का कब्जा होता तो उनके हस्ताक्षर होते।

नामान्तकरण कब्जा के आधार पर ही दर्ज होना चाहिए वास्तत में कब्जा होना राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 125 के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में इद्राज करने के सम्बन्ध को तय करने के लिए मुख्य आधार बताया गया है। (1962 आर.आर. डी. 56) भानाराम के ऋण एवं लोन का चुकारा वादी के पिता अर्थात वादी पक्ष में एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने ही किया तथा भानाराम के क्रियाक्रम व अन्तिम संस्कार भी उसके पुत्रों ने ही किया सौतेली पुत्रियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नामान्तकरण में कजी व कमला नामक महिलाओं के नाम दर्ज कर दिया जो अवैध हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कजी एवं कमला नामक महिला को वारिस गलत दर्ज किया वह स्व० भानाराम की सन्तान ही नहीं है तथा अपीलार्थी पक्ष को सुनवाई का अधिकार दिये बिना ही नामान्तकरण दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट के पास ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है कि काजी एवं कमला भानाराम की पुत्री है। अपील में भूमि खसरा नम्बर 692 में स्व० भानाराम के हिस्से के अलावा अन्य हिस्सेदारी से कोई सिद्धि नहीं चाही है इसलिए उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा रेस्पोडेन्ट से ही सिद्धि चाहने के कारण केवल उन्हें ही पक्षकार बनाया गया है। भूमि खसरा नम्बर 692 सम्पूर्ण पर आबादी है। अपीलार्थी के पिता के वारिसान द्वारा अपीलार्थी को पावर ऑफ अटोर्नी (मुख्त्यारनामा) दे रखा है। इसलिए अपीलार्थी के भाई बहिनों माता को पक्षकार नहीं बनाया गया। माननीय मातहत अदालत ए.डी.जे. झुन्झुनूं ने अपील पत्रावली का कही भी कोई भी तथ्य का अध्ययन किये बिना फैसला किया जिनके अनुसार वारिसान का विवाद माना गया है इसलिए वारिस प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से लिया जाने बाबत बताया परन्तु भूमि का विरासतन नामान्तकरण दर्ज किया तब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने किस आधार पर दर्ज किया यह नहीं देखा तथा मातहत न्यायालय झुन्झुनूं ने कहा कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता जबकि पत्रावली में पेश दस्तावेज तस्दीक वारिस प्रमाण पत्र, बंटवारानामा, बंटवारानामा को स्वीकार के बयान, कब्जा की सरकारी रिपोर्ट ऋण चुकाने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

के दस्तावेज आदि को बिना देखे मातहत अदालत ने फटाफट अंदाज से फैसला कर दिया जो गलत है। इन दस्तावेजों का अध्ययन ही नहीं किया गया। वारिस प्रमाण पत्र संलग्न है जो नगरपालिका उदयपुरवाटी द्वारा जारी किया हुआ है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है तथा इसके अलावा भी अपील की प्रत्येक धारा में नामान्तकरण को खारिज करने बाबत पूर्ण विवरण है इसलिए सम्पूर्ण अपील का बिना अध्ययन किये मातहत अदालत ने फैसला किया जो गलत है अपील का फैसला किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय में बाबुओं व वकीलों की हडताल के कारण व अपीलार्थी की पत्नि बीमार रहने के कारण उक्त अपील पेश नहीं की जा सकी अब न्यायालय खुलने से यह अपील अतिशीघ्र पेश की जा रही है। अधिकारों की रक्षार्थ अपील पेश करने की कोई समय सीमा लागू नहीं होती फिर भी कोई कानूनी नुक्स ना रहे इस हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अदालत समाहत फरमाई जावे। भूमि खसरा नम्बर 692 जिसमें स्व० भानाराम का 1/4 हिस्सा है उसका विरासतन नामान्तकरण संख्या 2387 दिनाक 30.01.2013 में कजी एवं कमला नामक महिलाओं का नाम हटाया जाने के आदेश फरमाते हुए तथा नामान्तकरण संख्या 2387 को रद्द करने के आदेश फरमावे। भूमि खसरा नम्बर 692 का 1/8 हिस्सा भानाराम के पुत्र बुद्धवारी के नाम तथा खसरा नम्बर 692 का 1/8 हिस्सा स्वर्गीय मूलाराम के वारिसानों के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। अथवा भानाराम के विरासतन नामान्तरकरण में उसके पुत्र मूलाराम एवं बुद्धवारी का ही नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं का निर्णय दिनांक 29.08.2022 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट न्यायालय में बाबुओं व वकीलों की हड़ताल के कारण व अपीलार्थी की पत्नि बीमार रहने के कारण उक्त अपील अन्दर मियाद पेश नहीं किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के समक्ष अपीलांट के द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं० 2387 दिनांक 30.01.2013 ग्राम उदयपुरवाटी को चुनौती देते हुए अपीलान्ट ने अपील मीमों मे कजी और कमला को गोपीराम पुत्र मांगूराम की पुत्रियां होने का कथन किया और गोपीराम की पत्नी ज्यानकी देवी द्वारा भानाराम नामक व्यक्ति से दूसरी शादी करना एवं भानाराम से दो पुत्र मूलाराम व बुद्धवारी पैदा होने का कथन किया है। उक्त नामान्तरकरण भानाराम के वारिसान के नाम भरा गया है। भानाराम के सही वारिसान के बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक है। अपीलांट को सक्षम न्यायालय से वारिसान के बिन्दु को तय कराना होगा

जो दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत बाद साक्ष्य तय होना है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में जो कथन किये गये हैं वह केवल मौखिक साक्ष्य है इसकी ताईद किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं होती है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र अपीलांट के मौखिक कथनों पर विश्वास करके नामान्तरकरण संख्या 2387 दिनांक 30.01.2013 को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होने एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2022 पारित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2022 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर